रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072024-255383
CG-DL-E-12072024-255383

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2579] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2024/आषाढ 20, 1946
No. 2579] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2024/ASHADHA 20, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

का.आ. 2715(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमचांग वन्यजीव अभयारण्य, असम के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1817 (अ) द्वारा, तारीख 7 जून, 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1817 (अ) द्वारा, तारीख 7 जून, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1817 (अ) द्वारा, तारीख 7 जून, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 और 6 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. निगरानी समिति.** – केंद्र सरकार इसके द्वारा एक समिती का गठन करेगी जिसे निगरानी समिति कहा जाएगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

i.	उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो)	अध्यक्ष, पदेन;
ii.	पुलिस उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो) पूर्व	सदस्य, पदेन;
iii.	पुलिस उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो), केंद्रीय	सदस्य, पदेन;
iv.	निदेशक, असम पर्यटन विभाग	सदस्य, पदेन;
v.	प्रभागीय वन अधिकारी, कामरूप पूर्व विभाग	
vi.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए असम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
vii.	असम सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
viii.	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कामरूप महानगर जिला	सदस्य, पदेन;
ix.	प्रभागीय अधिकारी, मृदा संरक्षण प्रभाग, कामरूप महानगर जिला	सदस्य, पदेन;
x.	ज्येष्ठ पर्यावरण इंजीनियर (प्रादेशिक कार्यालय), बामुनीमैदाम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
xi.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कामरूप महानगर जिला	सदस्य, पदेन;
xii.	जिला कृषि अधिकारी, कामरूप महानगर जिला	सदस्य, पदेन;
xiii.	जिला पशुपालन और पशु चिकित्सा अधिकारी, कामरूप महानगर जिला	सदस्य, पदेन;
xiv.	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (सड़क या भवन प्रभाग), कामरूप महानगर जिला	सदस्य, पदेन;
xv.	राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
xvi.	प्रभागी वन अधिकारी, गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।"

IndiaCode

6. निगरानी समिति के कार्य.- (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैराग्राफ 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैराग्राफ 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **संलग्नक-IV** में निर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्र सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/204/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पणी.- मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 7 जून, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1817 (अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2024

S.O. 2715(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Amchang Wildlife Sanctuary, Assam in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number number S.O. 1817(E), dated the 7th June, 2017;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1817(E), dated the 7th June, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1817(E), dated the 7th June, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons, namely: -

i. The Deputy Commissioner, Kamrup (Metro) - Chairman, *exofficio*;

ii. The Deputy Commissioner Police, Kamrup (Metro) East - Member, *exofficio;*

iii. The Deputy Commissioner Police, Kamrup (Metro) Central - Member, *exofficio;*

iv. The Director, Assam Tourism Department - Member, *exofficio;*

v. The Divisional Forest Officer, Kamrup East Division - Member, *exofficio;*

vi. A representative of a Non-governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Assam from time to time every three years - Member;

vii. An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Assam from time to time every three years - Member;

viii. Project Director District Rural Development Agency Kamrup Metropolitan District - Member, *exofficio;*

ix. Divisional Officer, Soil Conservation Division, Kamrup Metropolitan District- Member, *exofficio;*

x. Senior Environment Engineer (Regional Office), Bamunimaidam, Pollution Control Board- Member, *exofficio;*

xi. General Manager, District Industries Centre, Kamrup Metropolitan District- Member, *exofficio;*

xii. District Agriculture Officer, Kamrup Metropolitan District - Member, *exofficio;*

xiii. District Animal Husbandry and Veterinary officer, Kamrup Metropolitan District- Member, *exofficio;*

xiv. Executive Engineer, Public Works Department (Road or Building Division), Kamrup Metropolitan District- Member, *exofficio;*

xv. A representative of the State Biodiversity Board - Member, *exofficio;*

xvi. The Divisional Forest Officer, Guwahati Wildlife Division - Member Secretary, *exofficio*.

6. **Functions of Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure IV.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/204/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

IndiaCode

Note. -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1817(E), dated the 7th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.12 23:03:02 +05'30'